2022/192

विविध (रिमाण्डेड) प्रकरण संख्या 125/2022 अनवान् 1. सुभाष चन्द्र पुत्र श्री बलराम उम्र 32 वर्ष जाति जाट निवासी गांव 3 एन एम ढाबा, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **2. लालचन्द पुत्र पुरखाराम** उम्र 54 वर्ष जाति जाट (जाखड़) निवासी गांव 3 एन एम ढाबा, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **Through its Power of Attorney Holder** Mr. Subhash Chandra **S/o Shri Barlam by Caste Jat, Aged about 36 Years R/o Vilage 3 N.M. Dhaba, Tehsil Anupgarh District Sriganganagar बनाम 1. राजस्थान सरकार 2. बलराम पुत्र बृजलाल जाट निवासी ग्राम 3 एन.एम.** तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने याचिका संख्या 17625/2019 पर निर्णय दिनांक 01.04.2022 से जिला कलक्टर श्रीगंगानगर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी बलराम के अधिवक्ता ने दिनांक 28.04.2022 को एवं प्रार्थी सुभाष चन्द्र वगै. के अधिवक्ता ने दिनांक 02.05.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी उपस्थित दर्ज करवाई।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ ने अपनी बहस में कथन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 3 एनएम में अप्रार्थी के नाम पं. नं. 64/12(58) के कि.नं. 16 में 0.253 है., 20/2 में 0.203 है., 21/2 में 0.203 है., 22 ता 25 में [illegible] है. कुल [illegible] है. कमाण्ड खातेदारी भूमि है व चक 3 एन एम के मु.नं. 64/12(58) के कि.नं. 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में चार–चार बिस्वा रास्ता [illegible] ग्राम 3 एन.एम. (ढाबा) की आबादी को कूपली घड़साना मुख्य सड़क से जोड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि स्वीकृत शुदा रास्ते पर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत सी.सी. रोड़ निर्माण जिला परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा पंचायत समिति, अनूपगढ की ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी. नाहरांवली को कार्यकारी एजेन्सी बनाते हुए **प्रशासनिक एंव वित्तिय स्वीकृति दिनांक 10.06.2016 को जारी की गई** जिसमें यह शर्त दर्ज है कि **"कार्य गैर विवादित राजकीय भूमि** पर करवाया जावेगा। **कार्य व्यक्तिगत लाभ या निजी भूमि पर नहीं करवाया जा सकेगा।"**

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के तहत कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी. नाहरावाली द्वारा पं.नं. 64/12(58) के **कि.नं. 1, 10, 11, 20 में स्वीकृत शुदा रास्ते पर सी.सी.रोड का निर्माण किया गया, किन्तु कि.नं. 21 में जो कि आबादी भूमि के चिपता है में स्वीकृतशुदा रास्ते पर सुभाष चन्द्र पुत्र बलराम व कृष्ण लाल पुत्र सादुलाराम का अतिक्रमण होने पर ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रणियों को फायदा पहुंचाने हेतु अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर** व **प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में वर्णित शर्तो के विपरित व प्रस्ताव के विपरित जाकर ग्राम पंचायत द्वारा कि.नं. 20 में आंशिक व कि.नं. 21 जो कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है में उक्त सी.सी. रोड़ का निर्माण करवा दिया।**

उनका आगे यह भी कथन था कि परिवार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 माननीय लोकायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत होने के बाद लोकायुक्त कार्यालय द्वारा प्रस्ताव व प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति में वर्णित शर्तो के विपरीत खातेदारी भूमि में प्रश्नगत सड़क के निर्माण हेतु [illegible] जनप्रतिनिधि/लोकसेवक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सड़क निर्माण [illegible] अपव्यय की वसूली व निर्धारित नियमों की पालना किये बिना बनाई गई सड़क को मूल प्रस्ताव के अनुसार सही रूप से बनवाने की कार्यवाही के आदेश जारी किये गये है। माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोकायुक्त के उक्त आदेश की पालना हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति, अनूपगढ को आदेशित भी किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त आदेशों की पालना में विकास अधिकारी पंचायत समिति, अनूपगढ द्वारा तहसील कार्यालय अनूपगढ से भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की कमेटी गठित करवाकर प्रश्नगत सड़क का सीमाज्ञान करवाकर रिपोर्ट ली गई, जिसके मुताबिक चक 3 एन.एम. के प.नं. 64/12 (58) कि.नं. 1, 10, 11, 20 में सी.सी. सड़क स्वीकृत शुदा रास्ते पर बनी है व **कि.नं. 20 आंशिक व कि.न. 21 में स्वीकृतशुदा रास्ते की बजाय उक्त प्रश्नगत सड़क अप्रार्थी बलराम पुत्र बृजलाल की खातेदारी भूमि में 3541 वर्गफुट बनी है।** उक्त रिपोर्ट दिनांक 21.10.2018 प्राप्त होने के बाद विकास अधिकारी, पंचायत समिति अनूपगढ ने चार सदस्य कमेटी गठित की गई व कमेटी की रिपोर्ट में अप्रार्थी बलराम की खातेदारी भूमि में निर्मित 3541 वर्गफुट सी.सी. सड़क हो हटाकर उचित स्थान पर बनाने की अनुशंषा व अपव्यय की राशि की वसूली व दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की गई।

उनका आगे यह भी कथन था कि अतिक्रमियों द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत कार्मिको से मिलीभगत कर उक्त प्रश्नगत स्वीकृत रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करवा लिया जो **माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के निर्णय [illegible] निरस्त कर पुनः नये सिरे से राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सरकारी [illegible] भूमि व कृषि भूमि को पृथक करते हुए विधिसम्मत आदेश जारी [illegible] किया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि **स्वीकृत रास्ते पर सुभाष चन्द्र वगै. द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है** व कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमियों के साथ मिलकर प्रस्ताव व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में वर्णित शर्तो के विपरित, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में निर्मित प्रश्नगत सड़क को हटाकर प्रस्ताव व प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति अनुसार स्वीकृतशुदा रास्ते पर सही रूप से सी.सी. सड़क बनवाने की प्रार्थना की।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण चक 3 एनएम ढाबा तहसील अनूगपढ के स्थाई निवासी है। इस प्रकरण में मुख्य विवादस्पद बिन्दु चक 2 एन.एम. ढाबा, ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी. नाहरांवली तहसील अनूपगढ की ग्राम पंचायत द्वारा करीब 50 वर्षों से संचालित पुराने सार्वजनिक रास्ते, जो की कच्चा था, को **ग्राम वासियों की पारस्परिक सहमति से सी.सी. रोड़ निर्मित किये जाने से संबंधित है, जिसके** विरूद्ध बलराम पुत्र बृजलाल द्वारा अनुचित करार दिया जाकर विरोध स्वरूप उसे हटाये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन था कि करीब पिछले 100 वर्षो से बसा हुआ गांव है। प्रार्थीगण को उक्त चक में अहाता संख्या 59 व 60 प्राप्त है जिसके पास से विवादस्पद रास्ता गुजरता है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा पक्का निर्मित किया जा चुका [illegible] **3 एन एम गांव अस्तित्व में आया है तब से ही [illegible] पंचायत द्वारा सी.सी. रोड के रूप में ग्राम [illegible] पक्का निर्मित कर दिया, जिसे बाद में बलराम पुत्र बजलाल द्वारा वि[illegible]न शिकायतों द्वारा विवादस्पद बना दिया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उनका आगे यह भी कथन था कि विवादस्पद रास्ता मुरब्बा नम्बर 64/12 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 में प्रत्येक में 4–4 बिस्वा से होकर गुजरता है, जो कि **ग्राम पंचायत के नक्शे अनुसार किला नम्बर 20 का कुछ हिस्सा एवं किला नम्बर 21 में घुमाव लिये हुए तिरछी निर्मित है, जो कि नक्शे एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में अंकित व चिन्हित है।** उक्त पुराना सार्वजनिक रास्ता जो कि मुरब्बा नम्बर 64/12 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 में संचालित है **वह पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है जो कि गांव 3 एन.एम. ढाबा से कूपली की ओर जा रही मुख्य सड़क से जोड़ता है। वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी. अनूपगढ द्वारा उक्त वर्णित सडक जो कि वर्ष 1974 के नक्शे में कच्चे रास्ते के रूप में चिन्हित था, को पक्की सी.सी. रोड़ के रूप में निर्मित करने हेतु प्रस्ताव पास किया तथा दिनांक 06.05.2016 को तकनीकी स्वीकृती जारी की गई।**

उनका आगे यह भी कथन था कि पंचायत समिति द्वारा पक्की सड़क निर्मित करने हेतु प्रस्ताव व तकनीकी स्वीकृति जारी करने के पश्चात बलराम पुत्र बृजलाल द्वारा उक्त सी.सी. रोड के निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में एतराज व्यक्त किया गया तथा उस एतराज स्वरूप बलराम द्वारा यह कारण अंकित करते हुए की जहां सीसी रोड निर्मित की जानी है वह भूमि उसे आवंटित है तथा रास्ते की 4 बिस्वा भूमि में कृष्णलाल द्वारा मकान निर्मित किया गया है वह अवैध निर्मित है।

उनका आगे [illegible] सिविल वाद संख्या 10/2106 अनवानी बृजलाल बनाम [illegible] न्यायालय अनूपगढ में दिनांक 11.07.2016 को [illegible] जिसमें राजीनामा की संभावना होने पर दिनांक 15.07.2016 को मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

गया। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार, अनूपगढ, अधिवक्तागण, अपर लोक अभियोजन एवं राजकीय अधिवक्ता मौके पर उपस्थित हुए तथा मौके पर बलराम एवं अन्य पक्षकारान के द्वारा पक्की सड़क का निर्माण मौके पर निशानदेही की जाकर सीसी सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त किये जाने पर रिपोर्ट उसी अनुरूप तैयार कर प्रेषित कर दी गई। वादी बलराम द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को राजीनामा हो जाने के कारण दिनांक 10.02.2018 को वापिस ले लिया गया।

उनका आगे यह भी कथन था कि चक 3 एनएम के पत्थर नं. 64/12 में 6.12 बीघा व पत्थर नम्बर 64/10 में 5.12 बीघा कमाण्ड व 12.10 बीघा **अनकामण्ड भूमि 31.01.1976 को आंवटन की गई थी जबकि उक्त रकबा काबिल काश्त था ही नहीं।**

उनका आगे यह भी कथन था कि बलराम द्वारा सिविल वाद को **राजीनामा होने की सूरत में वापिस ले लिया जाने के पश्चात एवं सीसी रोड निर्मित हो जाने के पश्चात पुनः एक शिकायत लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रार्थी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए प्रस्तुत की गई,** जिस पर उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् श्रीगंगानगर से पत्र दिनांक 17.01.2018 के माध्यम से रिपोर्ट तलब की गई कि शिकायतकर्त्ता बलराम की भूमि में सी.सी. रोड का निर्माण किया गया है तो रिपोर्ट/सूचना दिनांक 18.02.2018 से पूर्व सचिवालय में भिजवाई जावे। उक्त पत्र दिनांक 17.01.2018 की पालना में **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर एवं [illegible] द्वारा जांच की गई जिस पर विकास अधिकारी द्वारा [illegible] रिपोर्ट दिनांक** 11.06.2108 को इस आशय [illegible] की **उक्त विवादित सड़क 50 वर्ष पुराने मार्ग पर ग्राम वासियो एवं शिकायतकर्त्ता बलराम की सहमति से सी.सी. रोड के रूप में निशानदेही अनुसार निर्मित की गई है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि लोकायुक्त द्वारा दिनांक 16.07.2018 के माध्यम से तीन बिन्दुओं की रिपोर्ट तलब की गई, जिसको आदेश की संज्ञा देते हुए विधि विरूद्ध रूप से विकास अधिकारी पंचायत समिति, अनूपगढ द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.11.2018 से सरपंच ग्राम पंचायत 11/12 एनडी को एक पत्र जारी कर, लोकायुक्त द्वारा जारी किये गये **पत्र दिनांक 16.07.2018 का अंकन कर उसकी अनुपालना में सीसी रोड को 7 दिवस में हटाये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया जबकि लोकायुक्त द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया था।**

उनका आगे यह भी कथन था कि बलराम द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस पर लोकायुक्त द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के हस्तक्षेप कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। **लोकायुक्त को इस प्रकरण में क्षेत्राधिकार नही था चूंकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2016 को परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पाट/04 जारी कर रास्ते से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं में तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी को समस्याओं का निराकरण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि ग्राम पंचायत उक्त विवादित भूमि को ग्राम पंचायत की भूमि मानी है एवं उसमें कुछ हिस्से में सड़क एवं कुछ हिस्से से पट्टे जारी किये गये है और वही दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता बलराम उसे अपनी खातेदारी भूमि मानता है तो अगर उक्त भूमि ग्राम पंचायत की मानी जावे तो उसके अनुसार सड़क व [illegible] जारी किये गये है जो सही है ऐसे में विकास अधिकारी को [illegible] सड़क जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड अनुसार सही है, को हटाये जाने [illegible] कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, वहीं अगर उक्त भूमि जैसा शिकायतकर्त्ता बलराम की खातेदारी मानी जावे ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उस पर गलत निर्माण या पट्टे जारी कर दिये गये है तो भी विकास अधिकारी का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं चूंकि इस हेतु सक्षम न्यायालय राजस्व न्यायालय है **जहां बलराम को चाराजोही करनी चाहिए जो उसे अनुतोष प्रदान करने में सक्षम है। ऐसे में विकास अधिकारी द्वारा पूर्व में सीसी रोड हटाये जाने की कार्यवाही विधि विरूद्ध है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि शिकायतकर्त्ता बलराम द्वारा चक 3 एनएम ढाबा ग्राम पंचायत 11/12 एनडी नाहरांवाली अनूपगढ के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 पर निर्मित सीसी रोड को पूर्व में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र जारी कर हटाये जाने हेतु आदेशित किया गया है, की अनुचित एवं विधिविरूद्ध कार्यवाही को निरस्त किया जावे और माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ की पालना में विधिनुसार प्रकरण निस्तारण की प्रार्थना की है।

प्रार्थी बलराम के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन पत्र पर लिखित में आपत्तियां मय दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि **अ**प्रार्थी बलराम द्वारा विवादित रकबे पर अनुकूल मौसम व उपलब्ध सिंचाई सुविधा अनुसार समय समय पर काश्त की जा रही है। **सबूत के तौर पर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने गिरदावरी संवत 253, 2055, 2056 2061, की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इस प्रकार जब गिरदावरी में सम्पूर्ण खातेदारी रकबे पर काश्त अंकित है** तो काश्तशुदा उक्त खातेदारी रकबे में वादी सुभाष चन्द्र आदि [illegible] प्रस्तुत [illegible] से खातेदारी में निर्मित **प्रश्नगत सीसी सडक को 50 वर्षों [illegible] पुराने रास्ते पर निर्मित बताना सफेद झूठ है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि वादी सुभाष चन्द द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन मे प्रश्नगत सीसी रोड का निर्माण **ग्रामवासियों की पारस्परिक सहमति** से किया गया है जबकि अ**प्रार्थी बलराम के खातेदारी रकबे पर प्रार्थी की बजाय अन्य व्यक्ति से सहमति लेकर प्रश्नगत सडक का निर्माण करवाना सुभाषचन्द आदि की तानाशाही व हिटलरशाही को दर्शाता है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि सुभाषचन्द आदि द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन में बताया कि चक 3 एनएम का स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1974 में गावों में आहातों एवं सड़को को चिन्हित करते हुए नक्शा जारी किया गया था। जबकि वास्तविकता यह कि उक्त नक्शा वादी सुभाष चन्द व उसके परिवारजनों द्वारा अपनी सुविधानुसार तैयार करवाया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सुभाषचन्द आदि ने अभिवेदन में प्रश्नगत सीसी रोड की तकनीकी स्वीकृति पंचायत समिति, अनूपगढ के द्वारा दिनांक 06.05.2016 को स्वीकृत कर दिया गया जबकि वास्तविकता यह कि **प्रश्नगत सीसी सडक की संशोधित तकनीकी स्वीकृति 05.11.2018 को जारी हुई है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि सुभाष चन्द द्वारा विविधि न्यायालयों में चले प्रकरणों को प्रश्नगत सीसी सड़क से जोड़ने का प्रयास किया है जबकि वास्तविकता यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2019 में विभिन्न न्यायालयों के प्रकरणों का संबंध या तो प्रश्नगत सीसी रोड से सम्बन्धित नहीं है या न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिये है।

उनका आगे यह [illegible] अनूपगढ में प्रस्तुत वाद संख्या 10/2016 ब[illegible] के कारण दिनांक 10.02.2018 को वापिस [illegible] सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि **उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पट्टा** [illegible] **निगरानी प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ में पेश की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा सिविल वाद संख्या 10/2106 वापिस लिया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी   जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि सुभाष चन्द आदि द्वारा **प्रस्तुत अभिवेदन में विकास अधिकारी, अनूपगढ की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2019 को आधार मानकर तथ्य अंकित किया है जबकि वास्तव में उक्त रिपोर्ट दिनांक 22.04.2019 को निरस्त हो चुकी है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि सुभाष चन्द आदि ने अपने अभिवेदन में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2016 में रास्ते संबंधी परिपत्र का हवाला दिया गया है जबकि उक्त परिपत्र में स्पष्ट लिखा है कि **जहां मुरब्बाबंदी व किल्लाबंदी हो वहां रास्ते का अंकन मुरब्बाबंदी, किल्लाबंदी को दृष्टिगत रख पत्थर लाईन को दृष्टिगत किया जावेगा।** मुरब्बा लाईन या पत्थर लाईन या किला साईन समान्त होती है अर्थात **जहां किल्लाबंदी या मुरब्बाबंदी हो चुकी है वहां कोई आडा तिरछा रास्ता स्वीकृत नहीं किया जावेगा।**

उनका आगे यह भी कथन था कि सुभाष चन्द आदि द्वारा अभिवेदन में कथन किया है कि विकास अधिकारी, अनूपगढ द्वारा प्रश्नगत सीसी सडक को हटाने सम्बन्धित कार्यवाही का विकास अधिकारी, अनूपगढ को क्षेत्राधिकार नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि **विकास अधिकारी, अनूपगढ द्वारा मूल प्रस्ताव, नक्शा व प्रस्ताव में वर्णित शर्तो के विपरीत बनी प्रश्नगत सडक को हटाकर प्रस्ताव अनुसार सही स्थान पर बनाने की कार्यवाही माननीय लोकायुक्त कार्यालय, जिला परिषद कार्यायल व जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर के निर्देशों की पालना में की गई है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि सुभाष चन्द आदि द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन वास्तविक तथ्यों तथाकथित 1974 के अप्रमाणित नक्शें व विकास अधिकारी की निरस्त रिपोर्ट दिनांक 12.04.2019 पर आधारित है। इसलिए प्रश्नगत सीसी सडक को प्रार्थी की खातेदारी भूमि से हटाकर स्वीकृत शुदा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रास्ते से वादी सुभाष चन्द्र का अतिक्रमण हटाकर मूल प्रस्ताव व वित्तीय स्वीकृति अनुसार सही रूप में स्वीकृतशुदा रास्ते पर निर्माण करवाने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी बलराम के उक्त कथनों पर प्रार्थी सुभाष चन्द वगै. अधिवक्ता ने कथन किया कि **उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया नक्शा प्रमाणित है जिस हेतु उनके पास उपलब्ध नक्शे की सत्यापित प्रति उनके द्वारा दिखाई गई।**

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त विवादित सीसी रोड़ अप्रार्थी **बलराम के राजीनामा के आधार पर ही बनी है जिसके समर्थन में उनके द्वारा गिरधारीलाल, हंसराज, चन्द्र गोपीराम, फतूराम, मलकीत राम, मनोहर लाल, बनवारी लाल, नन्दराम, भागीरथ एवं शिशपाल के शपथ पत्र की प्रति पेश की है।**

उनका आगे कथन था कि विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2019 भी उनके द्वारा जिला परिषद् से सत्यापित प्रति ही प्राप्त की गई है,जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई प्रस्तुत दस्तावेज सही एवं सत्यापित है।

हमने, उभयपक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि हस्तगत प्रकरण चक 3 एनएम में प्रार्थी के नाम पं.नं. 64/12(58) के कि.नं. 16 में 0.253 है., 20/2 में 0.203 है., 21/2 में 0.203 है., 22 ता 25 में 1.012 है., कुल 1.671 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि है व चक 3 एन एम के प.नं. 64/12 (58) [illegible] 1, 10, 11, 20 ,21 प्रत्येक में **चार–चार बिस्वा रास्ता [illegible] (ढाबा) की आबादी को कूपली घड़साना मुख्य सड़क से जो[illegible] है जिसमें कि.नं. 20 की आंशिक व कि.न. 21 में बनी सी सी सडक पर प्रार्थीगण का विवाद है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त 3 एनएम के प.नं. 64/12 (58) के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में चार–चार बिस्वा रास्ता स्वीकृत है तथा जिसकी वित्तीय स्वीकृति जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.06.2016 को जारी की गई थी तथा जिसमें कार्यकारी एजेन्सी को शर्तो की पालना में आदेश जारी किये गये थे, जिसकी शर्त संख्या 4 व 5 निम्नानुसार है :

> 4. कार्य गैरविवादित राजकीय भूमि पर करवाया जायेगा एवं कार्य सार्वजनिक उपयोगिता का होने पर ही तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।
> 5. कार्य मरम्मत श्रेणी का नही होना चाहिये। **कार्य व्यक्तिगत लाभ अथवा निजी भूमि पर नहीं करवाया जा सकेगा।**

माननीय लोकायुक्त द्वारा तीन बिन्दुओं की सूचना चाहे जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1105 दिनांक 18.09.2018 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ से निम्न तीन बिन्दुओं की रिपोर्ट चाही थी :

> 1. प्रश्नगत सडक निर्माण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के **प्रस्ताव में वर्णित शर्तों के विपरीत निर्धारित नियमों की पालना किये बिना अनुचित रूप से करवाये जाने पर** इसके लिये उत्तरदायी जन प्रतिनिधि/लोक सेवक (चिन्हिकरण सहित) को नियमानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए उनके विरूद्ध की गई विभागीय/अनुशासनिक कार्य[illegible] रिपोर्ट
> 2. **निजी खातेदार[illegible] सड़क निर्माण में हुए अपव्यय (राशि मात्रा स[illegible]) की सम्बन्धित दोषी जन प्रतिनिधि**/लोक से नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर **किसी काश्तकार की व्यक्तिगत भूमि में निर्धारित नियमों की पालना किये बिना बनाई गई सडक को मूल प्रस्ताव** के अनुसार सही रूप से बनवाने की कार्यवाही की रिपोर्ट।

तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा उक्त प्रकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कमेटी द्वारा उक्त मौका स्थल चक 3 एनएम ढाबा ग्राम पंचायत 11/12 एनडी की जांच हेतु पहुंचे। मौका स्थल पर पहुंच कर कृषि भूमि चक 3 एनएम पं.नं. 64/12 के किला नं. 20 व 21 में निर्मित सडक की पैमाईश कर निशान दिये गये एवं निम्न रिपोर्ट दी गई :

रिपोर्ट कमेटी की पैमाईश के अनुसार किला नं. 20 व 21 में कुल 3541 वर्ग फुट सीसी सडक खातेदार बलराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन 3 एनएम में निर्मित है। इस प्रकार **निजी कृषि भूमि में निर्मित सड़क 3541 वर्गफुट हटाये जाने योग्य है। जिस पर व्यय राशि तकनीकी मापदण्डानुसार तीन लाख छ हजार दो सौ अठाईस (3,06,228/—) रूपये है, जो वसूली योग्य है। जिसके लिए सरपंच श्री महेश ज्याणी, ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश सरगरा उत्तरदायी** है। अतः जांच रिपोर्ट के आधार पर व लोकायुक्त कार्यालय के आदेशानुसार उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ साथ संबंधित सरपंच व सचिव से नियमानुसार वसूली की जानी उचित होगी। उक्त कार्यालय के पत्रानुसार ही संबंधि[illegible] को नियमानुसार निजी भूमि पर बनी सड[illegible] स्थान पर सडक बनाने हेतु निर्देशि[illegible] होगा। जांच रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुकेश कुमार, पीईओ जांच कमेटी, सदस्य | **हेम सिंह पीईओ** जांच कमेटी, सदस्य | **दलवीर सिह,पीईओ** जांच कमेटी, सदस्य | **हरिकृष्ण सिहग, एईएन** जांच कमेटी, सदस्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ ने सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 11/12 एनडी ने अपने आदेश दिनांक 05.11.2018 से निम्नानुसार आदेश पारित किये है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ लेख है कि इस कार्यालय द्वारा गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट व श्रीमान् संयुक्त सचिव (द्वितीय), लोकायुक्त का अ.शा. पत्रांक एफ 12(385)/लोकास/2108/13894 दिनांक 16.07.2018 की अनुपालना में ग्राम 3 एनएम (ढाबां) के काश्तकार श्री बलराम जाट की व्यक्तिगत कृषि भूमि के किला नं. 20 व 21 में निर्मित 3541 वर्गफुट सीसी सड़क को 7(सात) दिवस में हटाकर उचित स्थान पर निर्माण करवाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित करें।
>
> -sd-
> विकास अधिकारी
> पंचायत समिति, अनूपगढ

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ ने अपने पत्र दिनांक 12.04.2019 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को अपनी रिपोर्ट भिजवाते हुए श्रीमान् संयुक्त सचिव (द्वितीय) लोकायुक्त के आदेशों की अनुपालना में तीन बिन्दुओं की रिपोर्ट निम्नानुसार भिजवाई गई है:

> **बिन्दु संख्या — 1** प्रश्नगत सड़क निर्माण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में वर्णित शर्तो के वि[illegible] नियमों की पालना किये बिना अनु[illegible] इसके लिए उत्तरदायी जन प्रतिनिधि/लोक सेवक (चिन्हिकरण सहित) को नियमानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए उनके विरूद्ध की गई विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही की रिपोर्ट ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में **प्रश्नगत सडक का निर्माण पक्षकारानों की सहमति से स्थायी रूप से चालू कच्चे रास्ते पर आमजन की सुविधा के लिए करवाया गया है।** अतः विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई।

बिन्दु संख्या –2 निजी खातेदारी की भूमि में नियमों के विपरीत सड़क निर्माण हुए अपव्यय (राशि मात्रा सहित) की सम्बन्धित दोषी जन प्रतिनिधि /लोक सेवक से नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही की रिपोर्ट

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रश्नगत सडक का निर्माण पक्षकारानों की सहमति से स्थायी रूप से चालू कच्चे रास्ते पर आमजन की सुविधा के लिए करवाया गया है। **जिसके लिए कोई जनप्रतिनिधि/लोक सेवक दोषी नहीं पाये गये है।** अतः वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई।

बिन्दु संख्या –3 अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर किसी काश्तकार की व्यक्गितगत भूमि में निर्धारित नियमों की पालना किये बिना बनाई गई सड़क को मूल प्रस्ताव के अनुसार सही रूप से बनवाने की कार्यवाही की रिपोर्ट

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में **प्रश्नगत सड़क का निर्माण पक्षकारानों की सहमति से स्थायी रूप से चालू कच्चे रास्ते पर आमजन की सुवि[illegible] अनुसार सही रूप से ही करवाया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त [illegible]क निस्तारण योग्य है।

-sd-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, अनूपगढ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला कलेक्टर

विकास अधिकारी अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ ने पूर्व में की गई **जांच रिर्पाट दिनांक 12.04.2019 को अपने पत्र दिनांक 22.04.2019 से निरस्त कर दिया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को निम्नानुसार लिखा है** :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व मे की गई **जांच कार्यवाही विवरण के अवलोकन, मौका मुआयना एवं पुनः पैमाईश करवाने की आवश्यकता है। अतः पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट को निरस्त समझी जावे** एंव उक्त प्रकरण में पुनः विस्तुत जांच हेतु एक माह की समय अवधि प्रदान कर अनुग्रहित करने की कृपा करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने प्रमुख निजी सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर को दिनांक 05.07.2019 को रिपोर्ट भिजवाई गई है, जिसके अन्तिम पैराग्राफ में निम्नानुसार अंकित किया है:

> सरपंच द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन से विभिन्न न्यायालयों के प्रकरणों के संबंध में या तो प्रश्नतगत सीसी रोड़ से संबंधित नहीं है या न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिये गये है। **इस प्रकार सरपंच द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का कोई औचित्य नहीं है।**
>
> परिवादी [illegible] प्रस्तुत अभ्यावेदन पर परिवादी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत [illegible] में जिक्र और ना ही साक्ष्य प्रस्तुत [illegible] यह प्रतीत होती है कि <u>**परिवादी की मंशा केवल अपनी कृषि भूमि पर बनाई गई सीसी सड़क को हटवाना है।**</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त प्राप्त तथ्यों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक जिपग/पंचायत/2019–20/3337 दिनांक 21.05.2019 के अनुसार ही विकास अधिकारी पंचायत समिति, अनूगपढ स्तर पर कार्यवाही जारी है।

-sd-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

सरपंच, ग्राम पंचायत, 11/12 एनडी (नाहरांवाली), पंचायत समिति, अनूपगढ ने अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ को अपने पत्र दिनांक 14.10.2019 से रिकॉर्ड उपलब्ध करवाते हुए निम्नानुसार पत्र लिखा है :

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय में चल रहे प्रकरण संख्या 110/16 एवं 111/16 से सम्बन्धित निम्न रिकॉर्ड प्रस्तुत है :

1. खसरा आबादी मौजा ढाबा (मूल रजिस्टर)
2. नक्शा आबादी, मौजा ढाबा (कपडे का नक्शा अप्रमाणित)

उपरोक्त रिकॉर्ड श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

श्रीमानजी भूखण्ड संख्या 59 के इंतकाल से सम्बन्धित रजिस्टर (कार्यवाही रजिस्टर) चार्ज में प्राप्त नहीं है एवं कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

(महेश ज्याणी)
सरपंच
ग्राम पंचायत 11/12 एनडी(नाहरांवाली)
पंचायत समिति, अनूपगढ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 3 एनएम में अप्रार्थी के नाम पं.नं. 64/12(58) के कि.नं. 16 में 0.253 है., 20/2 में 0.203 है., 21/2 में 0.203 है., 22 ता 25 में 1.012 है., कुल 1.671 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि है व चक 3 एन एम के प.नं. 64/12 (58) के कि.न. 10, 11, 20 ,21 प्रत्येक में चार–चार बिस्वा रास्ता स्वीकृत है जो कि ग्राम 3 एन.एम. (ढाबां) की आबादी को कूपली घड़साना मुख्य सड़क से जोड़ता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति, अनूपगढ द्वारा तहसील कार्यालय अनूपगढ से भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की कमेटी गठित करवाकर प्रश्नगत सड़क का सीमाज्ञान करवाकर रिपोर्ट ली गई, जिसके मुताबिक चक 3 एन.एम. के प.नं. 64/12 (58) कि.नं. 1, 10, 11, 20 में सी.सी. सड़क स्वीकृत शुदा रास्ते पर बनी है व **कि.नं. 20 आंशिक व कि.न. 21 में स्वीकृतशुदा रास्ते की बजाय उक्त प्रश्नगत सड़क अप्रार्थी बलराम पुत्र बृजलाल की खातेदारी भूमि में 3541 वर्गफुट बनी है। वास्तव में** मुख्य विवादस्पद बिन्दु चक 2 एन.एम. ढाबा, ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी. नाहरांवली तहसील अनूपगढ की ग्राम पंचायत द्वारा करीब 50 वर्षों से संचालित पुराने सार्वजनिक रास्ते, जो की कच्चा था, को **ग्राम वासियों की पारस्परिक सहमति से सी.सी. रोड़ निर्मित किये जाने से संबंधित है, जिसे** बलराम पुत्र बृजलाल द्वारा हटाये जाने हेतु प्रकरएण प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण को उक्त चक में अहाता संख्या 59 व 60 प्राप्त है जिसके पास से विवादस्पद रास्ता गुजरता है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा पक्का निर्मित किया जा चुका है। जिसे **ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] के रूप में ग्राम वासियों की सहमति से पक्का निर्मित** [illegible] मुरब्बा नम्बर 64/12 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 में प्रत्येक में 4–4 बिस्वा से होकर गुजरता है। **उक्त पुराना सार्वजनिक रास्ता जो कि मुरब्बा नम्बर 64/12 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 में संचालित है वह पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है जो कि गांव 3 एन.एम. ढाबा से कूपली की ओर जा रही मुख्य सड़क से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

जोड़ता है। चक 3 एनएम के पत्थर नं. 64/12 में 6.12 बीघा व पत्थर नम्बर 64/10 में 5.12 बीघा कमाण्ड व 12.10 बीघा अनकामण्ड भूमि 31.01.1976 को आंवटन की गई थी जो काबिल काश्त नहीं थी और अप्रार्थी बलराम उक्त विवादित रकबे पर अनुकूल मौसम व उपलब्ध सिंचाई सुविधा अनुसार समय समय पर काश्त की जा रही है। जिसके **सबूत के तौर पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने गिरदावरी संवत 253, 2055, 2056 2061, की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इस प्रकार जब गिरदावरी में सम्पूर्ण खातेदारी रकबे पर काश्त अंकित है** परन्तु **अप्रार्थी के अधिवक्ता ने संवत् 2061 से 2079 तक की गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की, जिससे ज्ञात होता है कि प्रार्थी वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर काश्त नहीं कर रहा था** अगर प्रार्थी बलराम उक्त भूमि पर काश्त कर रहा होता तो आवश्यक रूप से वह संवत् 2061 से 2079 की गिरदावरी प्रस्तुत करता। इससे ज्ञात होता है कि **प्रार्थी बलराम गत 18 वर्षो से उक्त विवादित भूमि पर काश्त नही कर रहा था** लेकिन मुरब्बा नम्बर 64/12 के किला नं. 20 आंशिक व किला नं. 21 प्रार्थी को आवंटित आवश्यक हुई है **जिसे ग्रामवासी कच्चे रास्ते के रूप में प्रयोग में ले रहे थे जिस पर सीसी सडक के निर्माण के बाद पक्षकरों को आपसी विवाद आरम्भ हुआ है।** चूंकि उक्त विवादित रास्ता जो प्रार्थी बलराम को आवंटित तो आवश्यक रूप से हुआ था परन्तु वह उस पर काश्त नहीं कर रहा था और कच्चे रास्ते के रूप मे प्रयोग में लिया जा रहा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

चूकि उक्त पुराना सार्वजनिक रा[illegible]कि मुरब्बा नम्बर 64/12 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 में संचालित [illegible] **50 वर्षों से चला आ रहा है जो कि गांव 3 एन.एम. ढाबा से कूपली की ओर जा रही मुख्य सड़क से जोड़ता है जो ग्रामवासियों हेतु आने जाने का एक मात्र रास्ता है। इसलिए पंचायत समिति को आदेशित किया जाता है कि वे अप्रार्थी बलराम को कि.नं. 20 आंशिक व कि.न. 21 में स्वीकृतशुदा रास्ते की भूमि में**

जिला कलेक्टर

3541 वर्गफुट बनी सडक का वर्तमान डी.एल.सी. दर के आधार पर मुआवजा दिलाया जावे तथा सम्बन्धित दोषी जन प्रतिनिधि/लोक सेवक से वसूली की कार्यवाही की जावे।

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 3 एन एम प. नं. 64/12 मु. नं. 58 के कि.नं. 1—10—11—20—21 प्रत्येक किला में 4—4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत शुदा है जो कि ग्राम चक 3 एन एम (ढाबां) की आबादी की कूपली—घड़साना मुख्य सडक से जोडता है। ग्राम पंचायत 11/12 एन डी नाहरांवाली द्वारा प. सं. 64/12 (58) के कि. नं. 1—10—11—20 में स्वीकृत शुदा रास्ता पर सी सी रोड़ का निर्माण हो चुका है। कि. नं. 21 जो कि आबादी भूमि से चिपता है में स्वीकृत शुदा रास्ते पर मौके पर आबादी बसी हुई है। इस भूमि के संबध में ग्राम पंचायत को आदेशित किया जाता है आबादी भूमि बसी वाले रास्ते को निरस्त करवाने व भूमि को गैर मुमकिन रकबा दर्ज करवाने के लिए नियमानुसार अलग से प्रस्ताव तैयार कर, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। गैर मुमकिन आबादी की उक्त कार्यवाही को इस प्रकरण की कार्यवाही से अलग रखा जावे। आदेश की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर एवं सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत 11/12 एन डी (नाहरांवाली) पंचायत समिति, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सैक्ट्रेट, जयपुर एवं लोकायुक्त, लोकायुक्त सचिवालय, भगवान दास रोड, जयपुर को निर्णय की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible]2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद जुनैद)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर